रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032024-253094
CG-DL-E-16032024-253094

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1308] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2024/फाल्गुन 25, 1945
No. 1308] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2024/PHALGUNA 25, 1945

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2024

का.आ. 1374(अ).— विदेश मंत्रालय को केंद्र सरकार द्वारा आधार प्रमाणीकरण के नियम 5 के तहत सुशासन के लिए (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 के अंतर्गत अधिकृत किया गया है, जो उप-खंड (ii) के साथ सहपठित आधार प्रमाणीकरण करने के लिए आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 4 की उप-धारा (4) के खंड (बी) के अनुसार, एततद्वारा अधिसूचित करता है कि पासपोर्ट जारी करने के उद्देश्य से आवेदकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण करना आवश्यक होगा, अर्थात्: -

i. ऐसे मामलों में, जहां आधार का उपयोग पहचान के प्रमाण के रूप में किया जाता है, प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी;
ii. लाभार्थियों को सेवाओं के लिए पहचान की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में सूचित किया जा सकता है;
iii. आधार प्रमाणीकरण की विफलता के मामले में सेवा से इनकार नहीं किया जाएगा;
iv. यदि आवश्यक हो तो फिंगर प्रिंट आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है;

v. आधार संख्या को सिस्टम में कहीं भी प्रदर्शित नहीं किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो आधार संख्या के केवल अंतिम चार अंकों का ही उपयोग किया जा सकता है;

vi. फ़िंगरप्रिंट के पूर्वावलोकन या प्रदर्शन का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2. उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों का अनुपालन किया जाएगा ।

[फा. सं. VI/401/1/2/2012(भाग-III)]

टी. आर्मस्ट्रांग चांगसन,संयुक्त सचिव (पी.एस.पी) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2024

S.O. 1374(E).—The Ministry of External Affairs, having been authorised by the Central Government under rule 5 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), to perform Aadhaar authentication, hereby notifies that the applicants shall be required to perform Aadhaar authentication on voluntary basis for the purpose of issuance of Passport, subject to following conditions, namely:-

i. authentication shall be required in such cases where Aadhaar is used as proof of identity;

ii. the beneficiaries may be informed for alternative mechanism of identification for the services;

iii. there shall be no denial of service in case of failure of Aadhaar authentication;

iv. use of finger print based biometric authentication may be performed, if required;

v. the Aadhaar number shall not be displayed anywhere in the system and only last four digits of Aadhaar number may be used, if required;

vi. the preview or display of fingerprint shall not be used.

2. The relevant provisions of the said Act, rules and regulations made thereunder, and other directions issued by the Unique Identification Authority of India shall be complied with.

[F. No. VI/401/1/2/2012(Part-III)]

T. ARMSTRONG CHANGSAN, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. AMIT KUMAR JAISWAL Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL Date: 2024.03.16 02:10:39 +05'30'